सीएचआरआई की सहस्त्राब्दि रपट

मानवाधिकार और गरीबी उन्मूलन : राष्ट्रमंडल के लिए एक सूत्र

एक भी आदमी का गरीबी में जीना एक बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) के 53 देशों में करीब एक तिहाई यानी 70 करोड़ लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (सीएचआरआई) की मान्यता है कि आज के संसार में जहां समृद्धि है, ज्ञान और साधन हैं, गरीबी को समाप्त करने की घोषित प्रतिज्ञाएं और (अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज़ों और घोषणाओं में व्यक्त व राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित) वैधानिक दायित्व हैं; वहां इतने सारे लोगों का गरीबी व अभावों में जीना अस्वीकार्य और असहनीय है।

यह रपट 2001 में जारी हुई थी। हिंदी में यह अपने किस्म की पहली रपट है। दक्षिण एशिया व भारत की स्थिति को रेखांकित करने के लिए इस हिंदी संस्करण में अतिरिक्त सामग्री शामिल की गई है। इसमें सीएचआरआई का प्रस्थान बिंदु यह मान्यता है कि गरीबी का अस्तित्व ही स्वयं में मानवाधिकारों का उल्लंघन है। रपट गरीबी की प्रकृति व उसके कारणों पर निगाह डालती है। उसके उन्मूलन के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण व कार्यपद्धति के महत्व की पड़ताल करती है। ऐसे सुझाव प्रस्तावित करती है जिनके ज़रिए गरीबी को अधिक तेज़ी से समाप्त किया जा सके। इसमें संगठन द्वारा विचारित कुछ सिफारिशें हैं और साथ ही सरकारों से यह पुरज़ोर आग्रह भी कि वे अपने नीतिगत वक्तव्यों और (मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा व अन्य दस्तावेज़ों में समाहित) अपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को चरितार्थ करें।

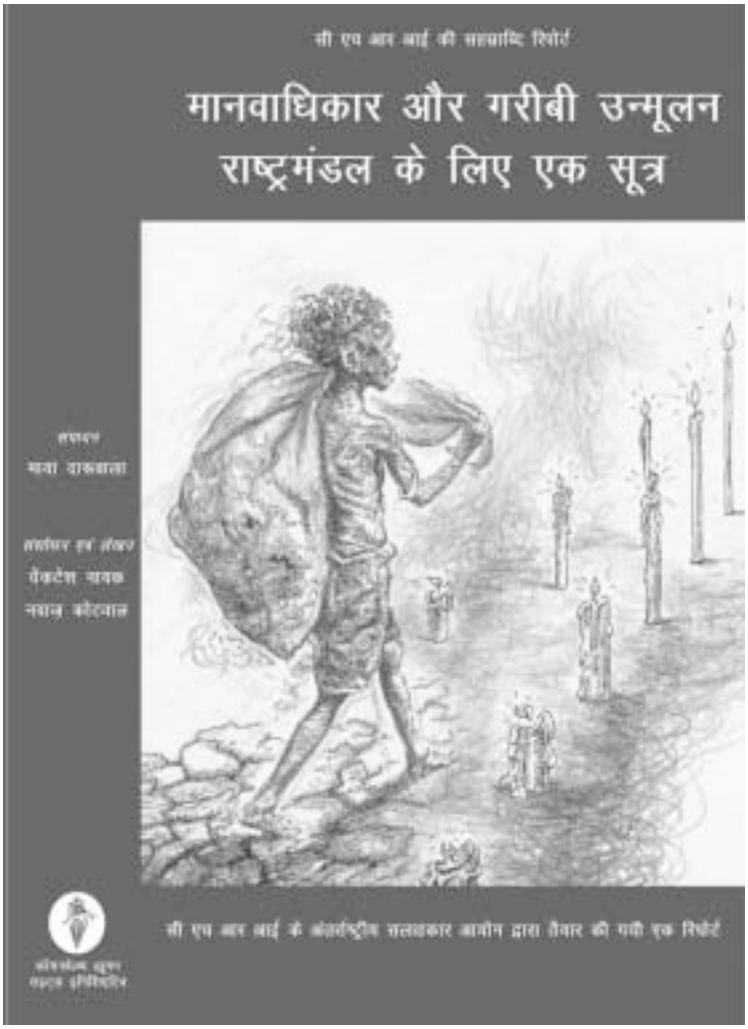

सीएचआरआई की यह रपट-

- राष्ट्रमंडल व दक्षिण एशिया में मौजूद गरीबी व अभाव की गंभीरता, गहराई और उसके विविध रूपों को आंकड़ों तथा प्रकरण अध्ययनों के ज़रिए प्रस्तुत करती है।
- गरीबी को बढ़ाने में राज्यों व उनके संस्थानों, सामाजिक-आर्थिक असंतुलनों तथा वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं तथा अन्य कारकों की भूमिका का विश्लेषण करती है।
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्थाओं को स्पष्ट करते हुए दर्शाती है कि एक ऐसा ढ़ांचा पहले ही से मौजूद है जिसके अंतर्गत गरीबी-उन्मूलन संभव है।
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा की पालना को मॉनीटर करने वाली समिति की सामान्य टिप्पणियों में वर्णित अधिकारों (भोजन, जल,शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य व काम के अधिकारों) के निर्माण करने वाले मानदंडों को व्याख्यायित करती है।
- उन उदाहरणों को प्रस्तुत करती है जहां भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्याओं में इन मानवाधिकार मानदंडों को संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार प्रावधानों में मौजूद माना है और सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपनी विकास नीति को इन कसौटियों पर आधारित करें।
- संसार भर से उन कथाओं को प्रस्तुत करती हैं जहां नागरिक समाज और जनांदोलनों ने सफलतापूर्वक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा और कार्यान्वयन के लिए पैरवी की है।

इस सहस्त्राब्दि रपट को हिंदी में प्रकाशित करने के लिए हमें ब्रिटिश कांउसिल का सहयोग-समर्थन प्राप्त हुआ है। सीएचआरआई इसके लिए आभारी है।

विकास के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण

"मानवाधिकारों के मूल में 'स्वायत्त व्यक्ति' की धारणा है। गरीबी व्यक्ति को अच्छे और गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी 'सामर्थ्यों' से वंचित करती है और इस तरह इस धारणा का उपहास करती है। अनुभव साक्षी है कि जो विकास नीतियां और व्यवहार मानवाधिकार मानदंडों व पद्धतियों पर आधारित नहीं, वे न तो गरीबी दूर कर पाएंगे और न ही एक न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित कर पाएंगे; जबकि जनकेन्द्रित विकास का केन्द्रीय मूल्य यही है। अधिकार-आधारित दृष्टिकोण नैतिक सर्वानुमति और वैधानिक दायित्व, दोनों ही पर आधारित है और उसमें संबंधित कर्तव्यधारकों की स्पष्ट पहचान होती है.....यह नीति निर्माण का एक व्यवहारिक साधन है और योजना व नीति निर्माताओं को प्राथमिकताओं की पहचान करने, उपयुक्त लक्ष्यों व लाभार्थियों का निर्धारण करने, सार्वजनिक ढ़ांचों को नई दिशा देने, कार्यान्वयन के लोकतांत्रिक तरीके अपनाने व इस आधार पर प्रभाव का आकलन करने में समर्थ बनाता है कि लोगों के जीवन की गरिमा और गुणवत्ता में कितनी वृद्धि हुई है। अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की नींव में सभी लोगों की समानता, गरीबों व सीमांत स्थिति में जीने वालों की भागीदारी, विकास प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और सभी कर्तव्यधारकों की जवाबदेही के बुनियादी मूल्य निहित हैं।"

(रपट से उद्धृत)

''सभी के द्वारा मानवाधिकारों के समान उपयोग.....के लिए ज़रूरी है कि समानता और मानवाधिकारों - नागरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और विकास के अधिकार - की समूची व्यवस्था के आड़े आने वाले सभी अवरोध हटाए जाएं, वे जहां भी और जिस भी रूप में मौजूद हैं। यह संदेश सीएचआरआई द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक प्रभावी अध्ययन का निष्कर्ष है।.....आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए इसमें बताए गए प्रस्ताव का मैं तत्परता से समर्थन करती हूं और साथ ही इसकी केन्द्रीय मान्यता का भी कि गरीबी कई तरीकों से मानवाधिकारों के उल्लंघन का स्रोत है।''

- *संयुक्त राष्ट्रसंघ की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त श्रीमती मेरी रॉबिंसन* द्वारा दिए गए *साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स* - जनवरी २००२ को नई दिल्ली में आयोजित मानवाधिकार रक्षकों की बैठक- के उद्घाटन वक्तव्य का एक कथन ।

सीएचआरआई ने मूलत: यह रपट राष्ट्रमंडल सरकारों के अध्यक्षों को कूलम, आस्ट्रेलिया में 2002 में हुई उनकी बैठक में सौंपी थी। हिंदी संस्करण में अतिरिक्त साम्रगी शामिल की गई है ताकि यह रपट सरकारों तथा नागरिक समाज, दोनों के लिए एक उपयोगी स्रोत-पुस्तक का रूप ले सके और भारत व दक्षिण एशिया में गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने वाले आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के पैरोकारों, गैर-सरकारी संगठनों तथा विकासकर्म से जुड़े पेशेवरों को प्रेरणा दे सके।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव
बी-117, प्रथम तल, सर्वोदय एन्क्लेव
नई दिल्ली- 110 017
फोन : 011-2685 0523
फैक्स : 011-2686 4688
ईमेल : chriall@nda.vsnl.net.in
www.humanrightsinitiative.org

ब्रिटिश कांउसिल
ब्रिटिश हाई कमीशन
17, कस्तूरबा गांधी मार्ग
नई दिल्ली- 110 001
फोन : 011-2371 1401
फैक्स : 011-2371 0717
www.britishcouncil.org.in

सीएचआरआई एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर-लाभार्थी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक धरातल पर चरितार्थ करना इसका विशेष कार्यक्षेत्र है।

ब्रिटिश कांउसिल विश्वभर में लोगों को संयुक्त राज्य ब्रिटेन द्वारा प्रस्तुत ज्ञानार्जन के अवसरों व रचनात्मक विचारों से जोड़ता है। यह संयुक्त राज्य ब्रिटेन तथा अन्य देशों के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित करता है।